बिहार सरकार

विधि विभाग

(कार्यपालिका नियमावली के नियम-53(1)ग एवं 32(क) XIX के अन्तर्गत)

।। आदेश ।।

आदेश सं0-एस0पी0(नि0)-13/2023-......294......./जे0, पटना, दिनांक-22-05-23

चूँकि सचिव, विधि विभाग को संबोधित जल संसाधन विभाग, बिहार की संचिका सं0-22/नि0सि0(अभि0)भाग0-22-16/2022 में उपलब्ध कागजातों एवं कांड दैनिकी में अंकित साक्ष्यों के परिशीलन के बाद, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि निगरानी थाना कांड सं0-48/2015 दिनांक-25.06.2015 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री द्विजेन्द्र कुमार (आई0डी0 नं0-2536), तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर, जिला-मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलीभगत कर आपराधिक षडयंत्र के तहत बोल्डर की फर्जी आपूर्ति एवं ढुलाई मापी पुस्त में अंकित कर अवैध रूप से प्रथम, चतुर्थ एवं पंचम चालू विपत्र के माध्यम से कुल राशि 52,21,131.08/- (बावन लाख एक्कीस हजार एक सौ एकतीस रूपये आठ पैसा) का दोषपूर्ण भुगतान संवेदक को किये जाने एवं सरकार को वित्तीय क्षति पहुँचाये जाने का प्रथम दृष्ट्या आरोप परिलक्षित होता है, जिससे उनके विरूद्ध भा०द०वि० की धारा-467, 468, 471, 409, 420, 120(बी) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-13(2)-सह पठित धारा-13(1)(सी)(डी) के तहत दं०प्र०सं० की धारा-197 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-19 के प्रावधानों के तहत अभियोजन के लिये प्रथम दृष्टया मामला बनता है,

और चूँकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या-2) की धारा-197 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-19 के अधीन कोई भी न्यायालय, किसी ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध, जो राज्य सरकार की मंजूरी से ही अपने पद से हटाया जा सकता है, किसी ऐसे अपराध का, जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुये या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुये किया गया अभिकथित हो, राज्य सरकार के मंजूरी के बिना संज्ञान नहीं ले सकता है,

और चूँकि प्राथमिकी अभियुक्त श्री द्विजेन्द्र कुमार (आई0डी0 नं0-2536), तत्कालीन सहायक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, तारापुर, जिला-मुंगेर सम्प्रति सेवानिवृत्त ऐसे लोक सेवक है जो राज्य सरकार की मंजूरी से ही सेवा से हटाये जा सकते है और यह अभिकथित है कि उन्होंने अपराध अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुये किया है,

और अब इसलिये राज्य सरकार एतद् द्वारा भा0द0वि0 की धारा-467, 468, 471, 409, 420, 120(बी) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-13(2)-सह पठित धारा-13(1)(सी)(डी) के तहत दं०प्र०सं० की धारा-197 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-19 के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

22/5/23

(रमेश चन्द मालवीय)

सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार।

कृ0प0उ0.......

D:\Arun\abhiyojan swikriti\officer uapa cbi\Public Servant P.S. Draft22.doc

ज्ञाप संख्या-एस0पी0(नि0)-13/2023-...294...../जे0, पटना, दिनांक-..22-05-23

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार की संचिका सं0-22/नि0सि0(अभि0)भाग0-22-16/2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(रमेश चन्द मालवीय)
सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–22/नि0सि0(अभि0)भाग0–22–16/2022/ / पटना दिनांक–

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को उनके पत्रांक–3282, दिनांक 01.12.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(संतोष कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

ज्ञापांक–22/नि0सि0(अभि0)भाग0–22–16/2022/ 933 / पटना, दिनांक–06-06-2023

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/सभी उप सचिव (प्रबंधन)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन)/कार्यपालक अभियंता (आई0टी0), आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, 6, 7, 8, 9, 12 एवं 22 जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

05.6.23
(संतोष कुमार सिन्हा)
अवर सचिव